

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाडा
प्रकरण संख्या : 26/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00031

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाडा हाल उदयपुर

बनाम

1. श्री नरेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल गुर्जर
विक्रेता मैसर्स भेरुनाथ दुध डेयरी,
मदारेश्वर रोड, मधुबन कोलोनी
बांसवाडा स्थायी पता- मुकाम निचला
घण्टाला पो. बांसवाडा।
2. श्री मांगीलाल गुर्जर पुत्र पन्नाजी गुर्जर
मालिक भेरुनाथ दुध डेयरी, मदारेश्वर
रोड, मधुबन कोलोनी बांसवाडा स्थायी
पता- मुकाम निचला घण्टाला पो.
बांसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा हाल उदयपुर (राज.) के द्वारा दिनांक 15-06-2021 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08-12-2020 को 02.00 पी. एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु भेरुनाथ दुध डेयरी, मदारेश्वर रोड, मधुबन कोलोनी बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नरेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल गुर्जर उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की डेयरी पर एक फ्रिजर में एल्युमिनियम की 6 केनो में करीबन 210 लीटर गाय का दुध आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त गाय का दुध का वास्ते जाँच हेतु नमुना लेने की सूचना देते हुए एक केन में से आम जनता को बिक्री हेतु रखे गये 30 लीटर गाय के दुध को प्लीन्जर की सहायता से अच्छी तरह हीला मिलाकर एक रुप कर 2 लीटर गाय का दुध साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगौनी में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी किमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय

अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा दो लीटर गाय के दुध को साफ,



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलो में भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर बोतल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया एवं नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त चार नमूना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाड़ा के पत्रांक 23-24 दिनांक 01.01.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 364 दिनांक 18.12.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गाय का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2, पपद्ध का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।


प्रकरण दिनांक 16-06-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्तगणों ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाड़ा के पत्रांक 23-24 दिनांक 01.01.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 364 दिनांक 18.12.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया गाय का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का


निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।


न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला वरिष्ठ अधिकारी)
बॉसवाड़ा (राज.)

28/7/21

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया गाय का दुध विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री नरेश गुर्जर पुत्र मांगीलाल गुर्जर विक्रेता मैसर्स भेरुनाथ दुध डेयरी, मदारेश्वर रोड, मधुबन कोलोनी बॉसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरे रु. दस हजार), श्री मांगीलाल गुर्जर पुत्र पन्नाजी गुर्जर मालिक भेरुनाथ दुध डेयरी, मदारेश्वर रोड, मधुबन कोलोनी बॉसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरे रु. दस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।


(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बासवाडा (राज.)
बासवाडा

